संख्या-23/2022/1722/63-व0उ0-2022-65(एच)/2021

प्रेषक,

पी0के0 पाण्डेय
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग,
उ0प्र0, कानपुर।

हथकरघा वस्त्रोद्योग अनुभाग — लखनऊः दिनांकः 29 दिसम्बर, 2022

विषयः- उ0प्र0 हैण्डलूम, पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल एवं गारमेंटिंग पालिसी-2017 के अन्तर्गत रु 39.28 लाख की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-961/ह0क0-वस्त्र नीति-17/2022-23 दिनांक 13.12.2022 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये उक्त प्रस्ताव के अनुसार निम्नलिखित 01 वस्त्र इकाई के पक्ष में निम्न विवरणानुसार उ0प्र0 हैण्डलूम, पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल एवं गारमेन्टिंग पालिसी-2017 की क्रियान्वयन योजनान्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु प्राविधानित बजट धनराषि रु0 75.00 करोड़ के सापेक्ष धनराशि रु0 1.18 लाख पी0एम0ए0 यूपिको के पक्ष में तथा धनराशि रु0 38.10 लाख इकाई के पक्ष मे, इस प्रकार कुल धनराशि रु0 39,28,000.00 (रुपये उन्तालिस लाख अट्ठाइस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं:-

इकाई का नाम व पता	पालिसी के अनुमन्य वित्तीय सुविधा	कमेटी द्वारा अनुमोदित धनराशि		
		इकाई के पक्ष में कुल अनुमोदित धनराशि (लाख रु0 में)	अनुमोदित धनराशि का 3 प्रतिशत पी0एम0ए0 यूपिको को सेवा-शुल्क के भुगतान की धनराशि (लाख़ रु0 में)	कटौती के पश्चात इकाई के पक्ष में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि (लाख़ रु0 में)
मे0 बहेती इण्डस्ट्रीज, प्रा0 लि0, सी0-50 यू0पी0एस0आई0डी0सी0 इण्डस्ट्रीयल-एरिया-रूमा, कानपुर	पूँजीगत उपादान	15.67	0.47	15.20
	ब्याज उपादान	6.00	0.18	5.82
	भूमि लागत अनुदान	7.45	0.22	7.23
	स्टाम्प ड्यूटी में छूट की प्रतिपूर्ति	10.16	0.30	9.86
	योग	39.28	1.18	38.10

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। उक्त धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0 कानपुर का होगा।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि रु0 39,28,000.00 (रुपये उन्तालिस लाख अट्ठाइस हजार मात्र) को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-6 के लेखाशीर्षक-2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-800-अन्य व्यय-02-उत्तर प्रदेश हथकरघा, पावरलूम, रेशम एवं वस्त्र नीति-2017-20 सहायता अनुदान- सामान्य (गैर वेतन) के नामें डाला जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का सदुपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को यथासमय उपलब्ध कराया जायेगा।

4- उक्त धनराशि का व्यय करने में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक 07-06-2022 में उल्लिखित शर्तो का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

(पी0 के0 पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

संख्या-23/2022/1722 (1)/63-व0उ0-2022 तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर नगर।
3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
4- अनु सचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6/नियोजन अनुभाग-4
5- गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(पी0 के0 पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।